

03/05
2024

पत्रावली दर्ज रजिस्टर में जाकर उपरोक्त को
सम्मन मरा नकल जारी किए जाकर उपरोक्त
वास्ते नोटिस तामील दिनांक 22/05/2024 को पेश
है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

22/05
2024

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा व्यापिक
कार्य स्थगित कराने से अब पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 28/05/2024 को पेश है।

B.O.
J.P.
R.S.

28/05
2024

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा
व्यापिक कार्य स्थगित कराने से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
23/06/24 को पेश की जावे।

B.O.
J.P.
R.S.

3/06
24

पत्रावली पेश हुई। P.O. शाहब. युगाव इयूरी में
चित्तौड़गढ़ पधारने से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
5/06/24 को पेश की जावे।

B.O.
J.P.
R.S.

5/06
2024


पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षलाशन उपस्थित।
पैराकार सरकार ने शांतालय में उपस्थित हो
जावत प्रस्तुत करने के बाद का पत्रावली
के NO - objection प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी
ने आज ही वहन करने का निवेदन कर
धारा 128 पर वहन आदेश सुनाई। पत्रावली का
अवनाक किया गया वकील प्रार्थी की वहन
पर अनुरोध किया गया। आं पत्र धारा 128 व



NO objection

5/6/2024

पत्रावली में शामिल यस्तावेजों का गहनता से अवलोकन कर
अन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा बहक के दौरान दी गई
वलीनों के हम संभूत है। प्रार्थी का प्रारंभ धारा-128 बाबत
पत्थरगरी का स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः वकील
प्रार्थी का प्रारंभ स्वीकार योग्य पाए जो के स्वीकार
किया जाता है। प्रारंभ धारा-128 का निर्वाचन प्रथम के
लिखामा जाकर कुले न्यायालय की इजलाह में लुगाया
गया। पत्रावली फुलल शुमार हो वर्ज रजिस्टर के कम
किया जाकर शामिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)